न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 394/2025 प्रार्थना पत्र

1. सेउ उर्फ कोयली पुत्री गोपी गुर्जर पत्नी हीरा गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजपुरा हाल दोलपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

उनवान

बनाम

–प्रार्थीया

1. सोहन पिता भूरा गुर्जर मृतक के बजायः–
   1/1 जस्सू बेवा सोहन गुर्जर आयु वयस्क निवासी राजपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
   1/2 शंकर पिता सोहन गुर्जर आयु वयस्क निवासी राजपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. नारू पिता भूरा गुर्जर उम्र बालिग निवासी राजपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश चन्द्र पुत्र चुन्नीलाल जी काबरा उम्र बालिग निवासी कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0 दी0

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री रतन लाल जाट– प्रार्थीया
2. श्री भैरू लाल बाफना– प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 व 2

निर्णय दिनांक–.....2026

प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.09.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र क्रम संख्या 394/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में वास्ते साक्ष्य जैर कार्यवाही रहा तथा वादिया का शपथपत्र भी दिनांक 22.07.2022 को पत्रावली में पेश कर दिये जाने के बाद वादिया एवं उसके अधिवक्ता के हाजिर अदालत नहीं आ सकने से प्रकरण को दिनांक 24.05.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया । जिस आदेश को अपास्त करा पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु यह आवेदन पेश है।

साक्ष्य हेतु शपथपत्र प्रस्तुत करने के बाद वादिया की तबियत अचानक खराब हो जाने से बयान नहीं हो सके जिसके बाद वादिया लम्बे समय तक बीमार रह, घर पर घरेलू ईलाज लेती रही तथा उसके बाद काफी कमजोर हो गयी तथा वादिया के पुत्र बाहर रोजगार हेतु रहने से वादिया को कोर्ट में लाने वाला कोई नहीं होने से हाजिर नहीं आ सकी ना ही वादिया अपने अधिवक्ता को उक्त परिस्थितियों की जानकारी दे सकी तथा वादिया के अधिवक्ता अपने अन्य प्रकरणों के सिलसिले में अन्य न्यायालय में उपस्थित रहने के कारण हाजिर नहीं आ सके। दिनांक 12.08.2025 को वादिया न्यायालय में आकर अपने अधिवक्ता से मिली जिस पर जानकारी हुई कि वादिया का उक्त प्रकरण दिनांक 24.05.2024 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है जिस पर तत्काल नकलों हेतु आवेदन पेश करने पर दिनांक 18.08.2025 को नकलें प्राप्त होने पर बिना विलम्ब यह आवेदन बाबत् प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही कराने हेतु पेश किया गया।

मामला कृषि आराजियात से संबंधित होकर जमीन जायदाद का मामला है, जिसे पुनः नम्बर पर लेकर वादिया को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया तो वादिया न्याय व हक अधिकारों से महरूम रह जावेगी ।

23/21

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश दिनांक 24.05.2024 से जानकारी दिनांक 12.08.2025 व नकलें मिलने की दिनांक 18.08.2025 तक का समय क्षम्य योग्य होकर कण्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिस हेतु दफा 05 मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से पेश है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 24.05.2024 को पत्रावली में पारित अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश को अपास्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर आगामी कार्यवाही कराये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1/1, 1/2 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बाफना द्वारा दिनांक 04.12.2025 को अधिकार पत्र पेश किया गया। विपक्षी संख्या 03 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध दिनांक 12.01.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 व 2 की ओर से जवाब दिनांक 04.02.2026 को पेश किया गया जो निम्न प्रकार है:-

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र सरासर असत्य एवं आधारहीन होने से एवं बेरूनमियाद पेश होने से सव्यय निरस्तनीय है। उक्त अनवान के मूल राजस्व वाद सं. 174/2007 में दिनांक 24.05.2024 की पेशी वास्ते साक्ष्य वादीया हेतु नियत थी। इससे पूर्व उक्त प्रकरण में दिनांक 17.06.2022 को ही तनकियात कायम की जाकर प्रकरण लगातार साक्ष्य वादीया में नियत चलता रहा किन्तु वादीया द्वारा करीब 2 वर्ष तक अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी और अन्त में दिनांक 24.05.2024 को न तो वादीया न्यायालय में उपस्थित हुई और न ही उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। जिससे न्यायालय द्वारा सही तौर से वादीया का वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया ।

प्रार्थीया/वादीया ने उक्त तारीख पेशी पर अपनी अनुपस्थिति का कोई उचित एवं युक्ति युक्त कारण अंकित नहीं किया है और न ही उसने अपनी अनुपस्थिति के कारण के समर्थन में कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादीया का यह लिखना सरासर गलत है कि दिनांक 12.08.2025 को न्यायालय में उपस्थित होने पर उसे उक्त प्रकरण के अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी हुई हो, बल्कि वादीया जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई थी और उसके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के खारिज हो जाने की भी उसे प्रारम्भ से ही जानकारी थी। लापरवाह व्यक्ति को कोई भी रियायत नहीं दी जा सकती है। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र सरासर असत्य एवं आधारहीन होने से सव्यय निरस्तनीय है। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र बेरूनमियाद होने से भी निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र सरासर निराधार होने से तथा बेरूनमियाद पेश होने से सव्यय निरस्त कराया जावें।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 22.07.2022 को साक्ष्यवादी हेतु नियत थी। वादिया स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई और वादिया का शपथ पत्र वास्ते शहादत पेश किया गया, परन्तु पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से वादिया की साक्ष्य में मुख्य परीक्षा नहीं कराई जा सकी एवं पत्रावली पूर्ववर्ती आदेश अनुसार साक्ष्यवादी हेतु नियत रखी गई। दिनांक 22.07.2022 से दिनांक 24.05.2024 की अवधि में 11 तारीख पेशी नियत हुई, परन्तु पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने अथवा बार एसोसिएशन का कार्य स्थगन होने से न्यायिक कार्यवाही संभव नहीं हो सकी। दिनांक 24.05.2024 को वादिया एवं वादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से वादिया का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इस प्रकार दिनांक 22.07.2022 को शपथ पत्र पेश होने के उपरान्त

8/3/26
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

वाद पत्र खारिज होने की अवधि के मध्य में पत्रावली में कोई कार्य / आदेश नहीं हुआ। प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 12.08.2025 को अधिवक्ता से संपर्क करने पर पत्रावली में नकले प्राप्त की गई और नकले प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 11.09.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया गया। वादिया द्वारा लगभग 1 वर्ष 3 माह के विलंब से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया गया, जिसका कारण प्रार्थीया का अत्यधिक वृद्ध होना एवं वृद्धावस्था के कारण बीमार रहने से अपने अधिवक्ता से संपर्क करना नहीं बन पाया। वादिया का पुत्र अपने निवास स्थान से दूर रोजगार हेतु रहता है, जिसके कारण वादिया को न्यायालय में लाने के लिए कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं होने से वादिया न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ विलंब अवधि को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया है। प्रार्थीया के बहुत वृद्ध होने के कारण वादपत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने के लिए न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया के वाद को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश पारित फरमाया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपनी बीमारी से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादिया को उसका वाद खारिज होने की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। इसके अतिरिक्त वादिया को अपने वादपत्र में प्रभावी पैरवी करने हेतु निरन्तर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया जाना चाहिए, परन्तु वादिया अपने हितों की पैरवी के लिए जागरूक नहीं है, जिसके कारण वादिया का वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो अपने वादपत्र के प्रति जागरूक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की न्यायालय द्वारा कोई सहायता किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली में वादिया द्वारा प्रस्तुत मूलवाद दिनांक 22.07.2022 को वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत थी और वादिया स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई थी। इसके उपरान्त दिनांक 24.05.2024 को न्यायालय द्वारा वादिया का वाद खारिज किये जाने से पूर्व न्यायालय में पत्रावली पर कोई न्यायिक कार्य/आदेश नहीं हुआ। वादिया के ग्रामीण परिवेश से होने, वृद्ध होकर बीमार होने से पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के आधार पर 1 वर्ष 3 माह के विलंब से पेश होने की अवधि को क्षम्य किया जाता है और 1000/– रूपये की शास्ति पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो और मूलवाद के साथ नस्तीबद्ध किया जावे।

18/3/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा